

**CENTRAL SOIL & WATER CONSERVATION RESEARCH & TRAINING INSTITUTE,  
218-KAULAGARH ROAD, DEHRA DUN**

**Open Auction Notice**

The open public auction for the disposal of **unserviceable Mini Bus (TATA) Model 1984, Ambassador car and unserviceable stores items** will be held at this Institute on “as is where is basis” as per details given below:

<b>S.No</b>	<b>Description of the material</b>	<b>Mode of disposal</b>	<b>Date of Open Auction</b>	<b>Earnest Money/ Security Deposit</b>
1.	<b><u>Unserviceable stores items</u></b> (Scientific Equipments, fixture & furniture (wooden & steel), beds, Electrical installation, Computers, Printers, Typewriter (Hindi & English), Utencils, Audio-visual Equipments, Heavy machinery, televisions, iron & plastic scrap etc.)	Open Auction	25.3.2010 (Thursday)	5,000/- (in cash)
2.	<b><u>Mini Bus TATA</u></b> Model 1984 Registration No. UGY-8580	Open Auction	25.3.2010 (Thursday)	10,000/- (By Demand Draft)
3.	<b><u>Ambassador Car</u></b> Model 1990 Registration No. UP07 3909	Open Auction	25.3.2010 (Thursday)	5,000/- (By Demand Draft)

Mini Bus, Ambassador Car and unserviceable stores items can be inspected at Central Soil & Water Conservation Research & Training Institute, 218- Kaulagarh Road, Dehra Dun on all working days during working hours (10.00 A.M. to 4.30 P.M.) by contacting Stores Section/Vehicle Section of the Institute from 16.3.2010 to 23.3.2010.

**Disposal of Unserviceable Items**

The unserviceable items will be disposed off by public open auction at 11.00 A.M. on 25.3.2010 at CSWCRTI, 218 Kaulagarh Road, Dehradun. The intending bidder will have to deposit **Rs.5000/- in cash** at the time of conducting the auction, which will be refunded to all bidders **except highest bidder** at close of the auction. The highest bidder has to deposit 50% of the offered price at the end of the auction. Security deposit can be adjusted in 50% deposit by the highest bidder. The other terms and conditions of the auction can be seen in the Auction Notice displayed on the Institute Notice Board from the day of publication in the newspaper and may also be seen in the Institute’s website [www.cswcrtiweb.org](http://www.cswcrtiweb.org)

**Disposal of Mini Bus/Ambassador Car**

The unserviceable Mini Bus and Ambassador Car will be disposed off by public open auction at 12.00 A.M. on 25.3.2010 at CSWCRTI, 218 Kaulagarh Road, Dehradun. The intending bidder will have to deposit Rs.10,000/- for Mini Bus and Rs. 5,000/- for Ambassador Car respectively in the form of **Demand Draft in favour of ICAR Unit Account, CSWCRTI, payable at Dehradun** at the time of conducting the auction, which will be refunded to all bidders except highest bidder at close of the auction. The highest bidder has to deposit 50% of the offered price at the end of the auction. Security deposit can be adjusted in 50% deposit by the highest bidder.

**The Institute reserves the right to reject/accept any bid without assigning any reason whatsoever with the approval of the Competent Authority.**

Officer-in-charge (S&P)

Telephone : 0135-2757217 (O)  
Fax : 0135-2755386

Email:director@cswertiddn.org  
vnsharda2@gmail.com

**Central Soil & Water Conservation Research & Training Institute,  
218 Kaulagarh Road, Dehradun-248 195 (Uttaranchal)**

## **AUCTION NOTICE**

An open auction for disposal of unserviceable stores items (Scientific Equipments, fixture & furniture (Wooden & Steel), beds Electrical installation, Computers, Printers, Typewriter (Hindi & English), Utencils, Audio-visual Equipments, Heavy machinery, televisions, iron & plastic scrap etc.), Mini Bus and Ambassador Car will be held at CSWCRTI, 218 Kaulagarh Road, Dehradun on 25.3.2010 at 11:00 A.M onwards. The terms & conditions of the auction are as under :

### **Terms and conditions :**

1. The unserviceable stores items and vehicles will be disposed-off on "as is where is" basis. The unserviceable stores items can be inspected on all working days during working hours (10.00 A.M. to 4.30 P.M.) by contacting Stores /Vehicle Section of the Institute from 16.3.2010 to 23.3.2010. The bidders/representatives coming for inspection are required to sign the register after inspection of items.
2. Each bidder will have to deposit an amount of Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand only) as security money deposit **in cash** for unserviceable items, Rs. 10,000/- for Mini Bus and Rs. 5,000/- for Ambassador Car in the shape of Demand Draft in favour of ICAR Unit Account, CSWCRTI, payable at Dehradun at the time of the auction to become eligible for bidding. The security amounts is refundable to all the bidders except the highest bidder at the end of auction.
3. The highest bidder shall have to deposit 50% of total cost of unserviceable stores, Mini Bus and Ambassador Car at the end of the auction. The security money deposit can be adjusted in 50% deposit by the highest bidder. The highest bidder has to make full payment of the total declared cost before lifting the above items. The payment of the sold items will be accepted either in cash to be deposited with Cashier of this Institute or Demand Draft drawn in favour of ICAR Unit Account, CSWCRTI., Dehra Dun.
4. No complaint about the quantity, quality or condition of the material will be entertained after the auction. The items would be handed over to the highest bidder on "as is where is basis". The Institute shall not be responsible for their usefulness or quality.
5. The rights to accept or reject the highest offer finally vests in the Director of this Institute.
6. In case of any dispute, the decision of the Director of this Institute will be final and binding.
7. The highest bidder shall have to make his own arrangements for transportation, loading/unloading and permit (if required) etc., after acceptance of his bid. The bidder shall have to pay all the local taxes, sale tax, surcharge or any other tax with the concerned authorities, if applicable, in addition to the amount offered.

Contd.....P/2

8. The security money deposit by the highest bidder will be adjusted in the total offered price.
9. The unserviceable stores, Mini Bus and Ambassador car will have to be lifted by the highest bidder within the specified period communicated after acceptance of the highest bid.
10. In case the highest bidder is unable to lift the material within specified period communicated after acceptance of his highest bid, the total amount deposited along with the security money deposit shall be forfeited to this Institute.
11. While lifting the material/vehicles the highest bidder shall not cause any damage to the properties of the Institute. In case of any damage, the same shall be made good by the bidder at his cost.
12. The Director of the Institute reserves the right to add/alter any further terms and conditions at his discretion at any time in public interest.

Officer – in – charge (S&P)

केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान,  
218 कौलागढ़ रोड, देहरादून – 248 195 (उत्तराखण्ड)

खुली लोक नीलामी आमंत्रण सूचना

इस संस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की ओर से एक अनुपयोगी मिनी बस (टाटा) मॉडल 1984, एम्बेसडर कार मॉडल 1990 तथा अनुपयोगी भंडार वस्तुओं के निपटान हेतु "जहाँ जो है आधार पर" निम्न विवरणानुसार होने वाली "खुली लोक नीलामी" आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र०सं०	सामग्री का विवरण	निपटान का प्रकार	नीलामी की तारीख	बयाना राशि/प्रतिभूति जमा
1.	<b>अनुपयोगी भंडार वस्तुएं</b> (वैज्ञानिक उपकरण, फर्नीचर्स एवं फिक्सचर्स (वूडन एवं स्टील) पलंग, इलेक्ट्रिकल वस्तुएं, कम्प्यूटर्स, प्रिंटर, टाइपराइटर (हिन्दी एवं अंग्रेजी) बर्तन, ऑडियाविजुअल उपकरण, भारी मशीनें, टेलीविज़न, लोहे एवं प्लास्टिक का कबाड़ इत्यादि)	खुली लोक नीलामी	25.3.2010 (बृहस्पतिवार)	रु० 5000/- (नगद)
2.	<b>मिनी बस टाटा</b> मॉडल 1984 पंजीकरण सं० यूजीवाई 8580	खुली लोक नीलामी	25.3.2010 (बृहस्पतिवार)	रु० 10,000/- (ड्राफ्ट द्वारा)
3.	<b>एम्बेसडर कार</b> मॉडल 1990 पंजीकरण सं० यूपी 07-3909	खुली लोक नीलामी	25.3.2010 (बृहस्पतिवार)	रु० 5,000/- (ड्राफ्ट द्वारा)

मिनी बस, एम्बेसडर कार एवं अनुपयोगी भंडार वस्तुओं का दिनांक 16.3.2010 से 23.3.2010 के बीच सभी कार्य दिवसों में 10:00 बजे पूर्वा० से 4:30 बजे अप० तक केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, 218 कौलागढ़ मार्ग, देहरादून पर भंडार अनुभाग एवं वाहन विभाग से संपर्क करके, निरीक्षण किया जा सकता है।

**अनुपयोगी वस्तुओं का निपटान**

अनुपयोगी वस्तुओं का निपटान, दिनांक 25.3.2010 को 11:00 बजे पूर्वा० के०मृ०एवंज०सं०अनु० और प्र०सं०, 218 कौलागढ़ मार्ग, देहरादून पर खुली नीलामी द्वारा किया जाएगा। इच्छुक नीलामीकर्ता को नीलामी के समय रु० 5000/- नगद जमा करने होंगे, केवल उच्चतम बोली लगाने वाले को छोड़कर सभी नीलामीकर्ताओं की जमा राशि नीलामी की समाप्ति पर लौटा दी जाएगी। उच्चतम बोली लगाने वाले को अपनी प्रस्तावित राशि का 50 प्रतिशत नीलामी के अंत में जमा करना होगा। प्रतिभूति जमा, उच्चतम बोली

लगाने वाले की 50 प्रतिशत जमा राशि में समायोजित किया जा सकता है। नीलामी के अन्य नियम एवं शर्तें समाचार पत्र में नीलामी सूचना छपने के पश्चात् के दिन से संस्थान के सूचना पट्ट तथा संस्थान की वेबसाइट [www.cswcrti.web.org](http://www.cswcrti.web.org) पर भी देखी जा सकती है।

### **मिनी बस/एम्बेसडर कार का निपटान**

मिनी बस एवं एम्बेसडर कार का निपटान, दिनांक 25.3.2010 को 12:00 बजे पूर्वाह्न 04:00 एंज 04:00 अनु और प्र 04:00, 218 कौलागढ़ मार्ग, देहरादून पर खुली नीलामी द्वारा किया जाएगा। इच्छुक नीलामीकर्ता को नीलामी के समय **रु० 10000/- मिनी बस के लिए एवं रु० 5,000/- एम्बेसडर कार के लिए डिमान्ड ड्रा ट द्वारा (ICAR Unit Account, CSWCRTI, payable at Dehradun)** जमा करने होंगे, केवल उच्चतम बोली लगाने वाले को छोड़कर सभी नीलामीकर्ताओं के डिमान्ड ड्रा ट नीलामी की समाप्ति पर लौटा दिए जाएंगे। उच्चतम बोली लगाने वाले को अपनी प्रस्तावित राशि का 50 प्रतिशत नीलामी के अंत में जमा करना होगा। प्रतिभूति जमा, उच्चतम बोली लगाने वाले की 50 प्रतिशत जमा राशि में समायोजित किया जा सकता है। नीलामी के अन्य नियम एवं शर्तें समाचार पत्र में नीलामी सूचना छपने के पश्चात् के दिन से संस्थान के सूचना पट्ट तथा संस्थान की वेबसाइट [www.cswcrti.web.org](http://www.cswcrti.web.org) पर भी देखी जा सकती है।

बिना कोई कारण बताए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी भी बोली को निरस्त/स्वीकार करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित है।

प्रभारी अधिकारी (भंडार एवं क्रय)

दूरभाष (कार्यालय) – 2757217  
फैक्स:- 0135-2755386

ई मेल:- director@cswcrtidn.org  
vnsharda2@gmail.com

केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान,  
Central Soil & Water Conservation Research & Training Institute,  
218 कौलागढ रोड, देहरादून – 248 195 (उत्तरांचल)  
218 Kaulagarh Road, Dehradun-248 195 (Uttaranchal)

### नीलामी सूचना

दिनांक 25.3.2010 को 11:00 बजे पूर्वा० से अनुपयोगी भंडार वस्तुओं (वैज्ञानिक उपकरण, फर्नीचर्स एवं फिक्सचर्स (वूडन एवं स्टील) पलंग, इलैक्ट्रिकल वस्तुएं, कम्प्यूटर्स, प्रिंटर, टाइपराइटर (हिन्दी एवं अंग्रेजी) बर्तन, ऑडियोविजुअल उपकरण, भारी मशीनें, टेलीविजन, लोहे एवं प्लास्टिक का कबाड़ इत्यादि), मिनी बस एवं एम्बेसडर कार के निपटान के लिए के०मृ०ज०सं०अनु०प्र०सं०, 218 कौलागढ मार्ग पर एक खुली नीलामी की जाएगी। नीलामी के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं:-

#### **नियम एवं शर्तें :**

1. अनुपयोगी भंडार वस्तुओं, मिनी बस एवं एम्बेसडर कार का, "जहाँ और जैसी हैं" आधार पर निपटान किया जाएगा। अनुपयोगी भंडार वस्तुओं का दिनांक 16.03.2010 से 23.3.2010 तक सभी कार्य दिवसों के कार्य घंटों (10:00 पूर्वा० से 4:30 अप० तक) के दौरान संस्थान के भंडार अनुभाग से सम्पर्क करके निरीक्षण किया जा सकता है। निरीक्षण हेतु आने वाले आगंतुक/प्रतिनिधि से अपेक्षा की जाती है कि वे निरीक्षण के पश्चात् पंजिका में हस्ताक्षर करें।
2. प्रत्येक नीलामीकर्ता को नीलामी के समय अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए **रु० 5000/- (पाँच हजार रूपए) प्रतिभूति राशि के रूप में अनुपयोगी वस्तुओं के लिए नगद जमा करने होंगे, रु० 10,000/- मिनी बस एवं रु० 5,000/- एम्बेसडर कार के लिए डिमान्ड ड्रा ट द्वारा (ICAR Unit Account, CSWCRTI, payable at Dehradun) जमा करने होंगे।** नीलामी की समाप्ति पर उच्चतम बोली लगाने वाले नीलामीकर्ता को छोड़कर सभी नीलामीकर्ताओं की प्रतिभूति राशि वापस कर दी जाएगी।
3. उच्चतम बोली लगाने वाले नीलामीकर्ता को नीलामी की समाप्ति पर अनुपयोगी भंडार वस्तुओं, मिनी बस एवं एम्बेसडर कार की कुल बोली की 50% राशि जमा करनी होगी। उच्चतम बोली लगाने वाले नीलामीकर्ता को, अनुपयोगी भंडार वस्तुएं उठाने से पूर्व उनकी कुल घोषित कीमत का भुगतान करना होगा। बिक्री की गई वस्तुओं की कीमत का भुगतान संस्थान के कैशियर द्वारा नगद या भा०कृ०अनु०प० यूनिट अकाउंट के०मृ०ज०सं०अनु०प्र०सं०, देहरादून के पक्ष में आहरित डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
4. नीलामी के पश्चात् सामग्री की मात्रा, गुणवत्ता या अवस्था के बारे में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी। नीलाम की गई सभी वस्तुएं, उच्चतम बोली लगाने वाले नीलामीकर्ता को "जो जहाँ और जैसी आधार पर" सौंप दी जाएगी। उनकी उपयोगिता या गुणवत्ता की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
5. उच्चतम प्रस्ताव को अंतिम रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान के निदेशक के पास सुरक्षित है।
6. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में, इस संस्थान के निदेशक का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

7. उच्चतम बोली लगाने वाले नीलामीकर्ता की बोली स्वीकार होने के पश्चात् उपरोक्त सामग्री एवं वाहन के परिवहन, ढुलाई एवं परमिट (यदि आवश्यक हो) इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। नीलामीकर्ता को प्रस्तावित राशि के अतिरिक्त यदि लागू हुए तो स्थानीय करों, विक्रय कर, अधिभार या अन्य करों का भुगतान संबंधित प्राधिकारियों को स्वयं करना होगा।
8. उच्चतम बोली लगाने वाले नीलामीकर्ता की प्रतिभूति राशि का समायोजन कुल प्रस्तावित कीमत में कर दिया जाएगा।
9. उच्चतम बोली लगाने वाले नीलामीकर्ता की बोली स्वीकार होने के पश्चात् उसे बताया गई अवधि के भीतर अनुपयोगी भंडार वस्तुओं एवं वाहनों को, उठाना होगा।
10. उच्चतम बोली लगाने वाले नीलामीकर्ता की बोली स्वीकार होने के पश्चात् उसे बताई गई अवधि के भीतर यदि वह सामग्री उठाने में असफल रहता है तो उस सूरत में उसके द्वारा प्रतिभूति राशि के साथ जमा की गई कुल राशि संस्थान के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी।
11. अनुपयोगी भंडार वस्तुओं एवं वाहनों को उठाते समय उच्चतम बोली लगाने वाला नीलामीकर्ता यदि संस्थान की सम्पत्ति को किसी प्रकार की हानि पहुँचाता है तो उसे उस सम्पत्ति को अपने खर्च पर ठीक कराना होगा।
12. लोक हित में किसी भी समय इन नियम एवं शर्तों में स्वेच्छा से कुछ जोड़ने/संशोधन करने का अधिकार संस्थान के निदेशक के पास सुरक्षित है।

प्रभारी अधिकारी (भंडार एवं क्रय)